

jkt; yfyr dyk vdkneh] m0i 0
yky ckjknjh Hkou] yfyr dyk vdkneh ekx] y[kuÅ & 206 016
nijHkk"k I a % 0522&2628453] 2616033

fo0; dlnz fu; ekoyh

राज्य ललित कला अकादमी, उ०प्र० द्वारा प्रदेश के कलाकारों की कृतियों को विक्रय करने की योजना स्वरूप विक्रय केन्द्र का संचालन किया जायेगा। इसमें कृतियां चयनित कलाकारों से निम्नलिखित शर्तों/नियमों पर विक्रय हेतु स्वीकार की जायेंगी।

1. कृतियों का साइज़ चित्र 36"x48" एवं मूर्ति 2-½ फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. विक्रय केन्द्र में चित्रों में तैल, जलरंग, ग्राफिक, रेखांकन एवं मूर्तियों में टेराकोटा, ब्रॉज, स्टोन, वुड माध्यमों की कृतियां प्रदर्शित की जायेंगी।
3. प्रत्येक कलाकार की अधिकतम दो कृतियां विक्रय हेतु ली जायेंगी। कलाकृतियों के एक-एक छायाचित्र साइज़ 5"x7" आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
4. एक कलाकार की दो कृतियां दो माह तक प्रदर्शित की जायेंगी। कृति का विक्रय न होने पर उसे कलाकार को वापस कर दिया जायेगा। अवधि समाप्ति के 15 दिन के अन्दर कृतियां सम्बन्धित कलाकार को अवश्य ही उठा लेनी होंगी।
5. विक्रय केन्द्र में कृतियों को आमंत्रित किये जाने के लिये कलाकारों के नामों का चयन इस हेतु गठित उपसमिति द्वारा किया जायेगा।
6. विक्रय केन्द्र में सुरक्षा के हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे, परन्तु किसी प्राकृतिक आपदा के कारण कृति क्षतिग्रस्त होने पर अकादमी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
7. विक्रय केन्द्र में कृति विक्रय होने पर 15 प्रतिशत की दर से धनराशि कटौती कर शेष भुगतान संबंधित कलाकार को कर दिया जायेगा।
8. विक्रय केन्द्र में कृति के साथ कलाकार का नवीनतम जीवन-परिचय, जिसमें स्थायी/अस्थायी पता अवश्य दर्ज हो, जमा कराया जायेगा।
9. विक्रय केन्द्र हेतु प्राप्त कलाकृति का मूल्य अधिकतम रु. 5000/- (रुपये पाँच हजार) रखा जाए। प्रत्येक कलाकार से उसको स्वीकार्य अधिकतम एवं न्यूनतम मूल्य की जानकारी ली जाये जिसमें यदि कोई विक्रेता प्रदर्शित मूल्य से कम पर क्रय को सहमत हो तो स्वीकार्य न्यूनतम स्तर तक मूल्य निर्धारित होने पर कलाकृति का विक्रय किया जा सकता है। न्यूनतम स्वीकार्य मूल्य गोपनीय रखा जाये।
10. कलाकारों को विक्रय हेतु जमा की गयी कलाकृतियों को अपने व्यय पर लाना व ले जाना होगा। निर्धारित समय पर न ले जाने पर क्षति का उत्तरदायित्व कलाकार का होगा।
11. विक्रय केन्द्र का समय कार्यदिवसों में पूर्वाह्न 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक एवं अकादमी में प्रदर्शनियों की अवधि में दोपहर 12.00 से सायं 7.00 बजे तक रहेगा।
12. विक्रय केन्द्र में अकादमी के प्रकाशनों को भी विक्रय के लिये प्रदर्शित किया जायेगा।
13. किसी भी नियम/शर्तों में संशोधन का अधिकार अकादमी के पास सुरक्षित रहेगा।



QkeZ l a -----

jkT; yfyr dyk vdkneh] m0i 0

i fof"V; ka tek djus dh vflure frffk % 30 t[tkb] 2009

QkeZ dk eW; % #- 100@&


fo0; dlnz

I fpo
jkT; yfyr dyk vdkneh] m0i 0
y[kuA

fo"k; % fo0; dlnA

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रदर्शनी के नियम एवं शर्तों के अनुसार मैं अपनी निम्नलिखित कलाकृतियाँ एवं नवीनतम जीवन परिचय भेज/प्रेषित कर रहा/रही हूँ।



0-l a	dfr 'kh"kd	ek/; e	eki	U; ure eW;	vf/kdre eW;
1-					
2-					

thou oRr
tle frffk %
'k{k;d ; kx; rk %
dyk f'k{k %

Hkonh; @Hkonh; k

gLrk{kj % -----
uke % -----
i rk % -----

ekckby@njHkk"ka ua %

dk; kzy; ds mi ; ksckFkZ

jl hn l a ----- frffk ----- udn -----
--- fnukd ----- i kflr jl hn l a ----- dfr; ka dh l a -----
----- gLrk{kj-----

¼Mko ohuk fo | kFkh½
I fpo